न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
171 / 2025 प्रा0 पत्र	01.04.2025	14.08.2025

उनवान

1. श्री आशीष पुत्र पराक्रम सिंह चौधरी, निवासी – 2 ई 27 न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा।

-- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

-- विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थी श्री गणेश जोशी, उपस्थित।

2–विपक्षी संख्या 01 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दादीया पटवार हल्का दांथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 42 / 1 रकबा 1.1254 हैक्टयर, आराजी नम्बर 51 / 1 रकबा 0.1391 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 1.2645 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 37 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 46 रकबा 0.6702 हैक्टयर की पूर्वी मेड के सहारे होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 42 / 1, 51 / 1 मे आता जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। जो प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थी की उक्त आराजियात मे आने जाने का सीधा सरल सुगम एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन भू माफिया प्रवृति के लोगो की नियत मे फितुर होने से जबरन रास्ते की भूमि पर कब्जा कर रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को दिनांक 28 मार्च 2025 को रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है। उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थी ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद दादीया पटवार हल्का दांथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 42/1, 51/1 मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 37 से होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 46 रकबा 0.6702 हैक्टयर की पूर्वी मेड के सहारे अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 42/1, 51/1 मे आता जाता, को रास्ता से 30 फीट चौडाई मे नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र कमांक 112 दिनांक 01.05.2025 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी नम्बर 42/1 एवं 51/1 में आने–जाने बाबत् रास्ता चाहा गया है राजस्व नक्शा अनुसार वादी की उक्त आराजियात में आने–जाने हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है तथा मौके पर भी कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में वादी अपनी आराजियात में आने–जाने हेतु बिलानाम काबिल काश्त आराजी नम्बर 46 रकबा 0.6702 है० गे०मु० उसर का उपयोग करता है। मौके पर वादी को अपनी आराजियात में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। वादी बिलानाम आराजी संख्या 46 रकबा 0.6702 हैक्टेयर भूमि में से पूर्वी दिशा में आराजी नम्बर 45 की पश्चिमी मेड पर 30 फीट चौडा (लम्बाई 27 गट्टे एवं चौडाई 04 गट्टे) रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चाहता है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता है। 30 फीट चौडा रास्ता हेतु रास्तें का रकबा 0.0695 हैक्टेयर बनता है। ग्राम दादीया की वर्तमान डी०एल०सी० अनुसार उक्त भूमि की कीमत 02,40,800 /– प्रति हैक्टैयर है। प्रस्तावित रास्ता 0.0695 हैक्टेयर भूमि की दुगुनी राशि – 33,471 /– बनती है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी०एल०सी० दर की दोगुना राशि भुगतान हेतु सहमत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर०टी०ए० का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम दादीया पटवार हल्का दांथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 42/1 रकबा 1.1254 हैक्टयर, आराजी नम्बर 51/1 रकबा 0.1391 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 1.2645 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम आराजी संख्या 46 रकबा 0.6702 हैक्टेयर भूमि में से पूर्वी दिशा में आराजी नम्बर 45 की पश्चिमी मेड पर 30 फीट चौडा (लम्बाई 27 गट्टे एवं चौडाई 04 गट्टे) रास्ते हेतु स्वीकृत किया जाता है। प्रस्तावित आराजी नम्बर 46 की डी०एल०सी० अनुसार उक्त भूमि की कीमत 02,40,800 /– प्रति हैक्टैयर है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तावित रास्ता 0.0695 हैक्टेयर भूमि की दुगुनी राशि – 33,471 /– रूपये बनती है जो विपक्षी संख्या 01 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा